न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—370/2015/223 (2015/00123)

1. श्रवण पुत्र जवारा, जाति रावत, नि0 बोराज, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
2. नगर सुधार न्यास, अजमेर जरिये सचिव नगर सुधार न्यास, अजमेर हाल अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 12.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 78/2007.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्रसिंह पंवार, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—20.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बोराज, तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नंबर 871 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बरड़ा पर वादी का कब्जा संवत् 2012 स पूर्व से ही चला आ रहा है एवं उक्त अंकित आराजी पर वादी खातेदार काश्तकार की हैसियत से बिना किसी व्यवधान के 50 वर्षो से काबिज काश्त है । उक्त आराजी पर प्रार्थी का बाड़ा बना हुआ है । खसरा गिरदावरी संवत् 2043 से 2060 तक उक्त आराजी पर काबिज काश्त दर्ज है किन्तु वर्तमान जमाबंदी में उक्त आराजी का इंद्राज बिना किसी औचित्य के प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया है । अतः वादी के पा में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध खातेदारी घोषणा की आज्ञाप्ति पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 871 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे व वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का लगभग 50 सालों से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस पर वादी का बाड़ा भी बना हुआ है जिसमें वादी पशु आदि बांध कर अपनी आजीविका चला रहा है । अपीलांट अजमेर में राज0काश्त0अधि0 दिनांक 15.6.1958 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे अपीलांट अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैण्ड रिकार्ड एक्ट 1950 तथा जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 के समय ही विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके थे लेकिन राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अधिकार अभिलेख में वादी को खातेदारी अंकित नहीं किया गया । यह भी कथन किया कि विवादित भूमि के साबिक खसरा नंबर 871 के कुल रकबा 5–13–00 बीघा पर अपीलांट के साथ अन्य व्यक्ति भी काबिज चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने विधिक स्थिति को समझे बिना अत्यन्त सूक्ष्म निर्णय के तहत वाद खारिज किया है । बहस में आगे कथन किया कि कैम्प कोर्ट हाथीखेड़ा में वादी उपस्थित हुआ था लेकिन वाद साक्ष्य में होने से अपूर्ण होने से बहस हेतु मना कर दिया गया था लेकिन फिर भी अधी0न्याया0 ने लोक अदालत की भावना के विपरीत आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को पूर्ण रूप से दरकिनार करते हुए आदेश पारित किया है, अधी0न्याया0 ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 12.6.2015 को कैम्प कोर्ट हाथीखेड़ा में प्रकरण की सुनवाई हेतु प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई बाबत् कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान नहीं किया जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी। दिनांक 10.7.2015 को प्रकरण के संबंध में जानकारी करी तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रकरण का निर्णय कैम्प में हो चुका है । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकरी कर निर्णय की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 16.7.2015 को निर्णय की प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अधिवक्ता ने जवाब बहस में संयुक्त रूप से कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । सिवायचक भूमियों पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित

समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट हाथीखेड़ा में रखकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में निर्णित किया है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि अधी0न्याया0 को वाद में वादपत्र एवं जवादावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम उभयपक्ष को विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश भी दिया जाना उचित समझते है । हाज न्यायालय का यह आदेश वाद के निर्णय के पश्चात् स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर